मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–25/2024

1. कालूराम पुत्र मंगतुराम | जाति मेघवाल साकिन प्रेमपुरा
2. चावली देवी पत्नी कृष्णलाल | तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

– वादीगण

बनाम

1. बनारसी देवी उर्फ कमला देवी पुत्री मंगतुराम पत्नी मनफूलराम जाति मेघवाल साकिन डंगरखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
2. कानाराम | पिसरान कृष्णलाल जाति मेघवाल साकिन प्रेमपुरा
3. गणेशाराम | तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. राणी उर्फ भारती पुत्री कृष्णलाल पत्नी वेदपाल जाति मेघवाल सार्किन आंसाखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

वादीगण की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री कमलेश कुमार अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है– कि तहसील पीलीबंगा के चक 12 एसटीबी–ए के खाता सं. 124/27 के प.नं. 13/325 (27) किला नं. 21 ता 24, प.नं. 13/226 (30) किला नं. 1 ता 24 कुल 7.084 हैक. नहरी अनकमांड खातेदारी में मृतक सरबती के नाम दर्ज 443/3542 हिस्सा व तहसील पीलीबंगा के चक 6 एसजीआर के मु. खाता सं. 193/35 के प.नं. 11/317 (30) किला नं. 19/2, 21/2, 22 ता 25, प.नं. 11/318 (49) किला नं. 1/2, 2 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24 कुल 7.337 हैक. नहरी अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में मृतक सरबती के नाम दर्ज 917/7337 हिस्सा के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। सरबती देवी का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना न होने तथा समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म गैर मुमकिन/गैर खातेदारी पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 14/5/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.02 15:32:19 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा